बिहार सरकार

पशुपालन निदेशालय, बिहार

ई-मेल - dirahd-bih@nic.in वेबसाइट - ahd.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक- 10 नि0 (यो0) 05/2017 .... **दिनांक-**.....................2018

वित्तीय वर्ष 2017–18 में "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत "निजी क्षेत्रों में बकरी फार्म (Goat Farm) की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान की योजना" के सफल कार्यान्वयन हेतु "कार्यान्वयन अनुदेश"

विभागीय स्वीकृति आदेश पत्र संख्या–6 एस0एस0 (6) 42/2014 –3004 दिनांक–12.09.2017 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक–3726 दिनांक–22.11.2017 तथा ज्ञापांक–4095, दिनांक–21.12.2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल रूपये 1189.842 लाख (ग्यारह करोड़ नवासी लाख चौरासी हजार दो सौ) मात्र की अनुमानित लागत पर राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के सफल कार्यान्वयन के लिये राज्य में उन्नत नस्ल के तीन प्रजनन योग्य (एक इकाई) बकरी, इच्छुक बकरीपालकों/गरीब परिवारों के बीच जीविका के माध्यम से निःशुल्क वितरण तथा बकरी पालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा क्षमता एवं 40 बकरी +2 बकरा की क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (अधिकतम क्रमशः रूपये 1.00 लाख/2.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान एवं प्रशिक्षण देकर बकरी/बकरा पालन को प्रोत्साहित करने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त स्वीकृति आदेश की कंडिका–**(B)**–"निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा क्षमता एवं 40 बकरी +2 बकरा की क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (अधिकतम क्रमशः रूपये 1.00 लाख/2.00 लाख प्रति बकरी फार्म (Goat Farm) अनुदान" एवं **(C)**–"प्रशिक्षण, अनुश्रवण एवं प्रचार–प्रसार" का कार्यान्वयन पशुपालन निदेशालय के द्वारा किया जाना है। तदनुसार संगत राज्यादेश की कंडिका–(B)-(Vii) के आलोक में योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देश (कार्यान्व यन अनुदेश) निर्गत किया जाता है:–

<u>1– उद्देश्य</u> :– इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय नस्ल की बकरियों को उच्च उत्पादकता वाली नस्ल से प्रतिस्थापित किया जाना है। साथ ही योजना के कार्यान्वयन के द्वारा उन्नत नस्ल के बकरी/बकरा के उत्पादन में राज्य की आत्मनिर्भरता, राज्य में मानव उपयोग के निमित पशुजन्य प्रोटिन की उपलब्धता में वृद्धि एवं रोजगार के अतिरिक्त अवसर के उपलब्धता के साथ बकरी पालकों के आय में वृद्धि सुनिश्चित की जानी है।

2– योजना के मुख्य बिन्दु :–

(i) राज्य में उन्नत नस्ल के बकरा एवं बकरी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्रों में इच्छुक किसानों अथवा परम्परागत बकरीपालकों के द्वारा बकरी फार्म की स्थापना किया जाना आवश्यक है।

(ii) बिहार पशु प्रजनन नीति, 2011 में अनुशंसित नस्ल ब्लैक बंगाल के बकरी फार्म (Goat Farm) की निजी क्षेत्रों में स्थापना पर कुल लागत का 50% अनुदान देय होगा।

(iii) इस योजना के तहत 20 बकरी+1 बकरा क्षमता एवं 40 बकरी +2 बकरा की क्षमता की इकाइयाँ स्थापित की जायेंगी। इन इकाइयों की लागत क्रमशः रूपये 2.00 लाख एवं 4.00 लाख आकलित है और इस पर स्थापना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम क्रमशः रूपये 1.00 लाख एवं 2.00 लाख) अनुदान देय होगा।

(iv) राज्य में निजी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले बकरी फार्मो में उत्पन्न स्वस्थ संतति को "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत राज्य के गरीब पशुपालकों के बीच वितरित किये जाने हेतु खुली निविदा के माध्यम से उस नस्ल हेतु निर्धारित दर पर क्रय किया जाएगा।

3– लाभुक का चयन (आवेदन पत्र/योग्यता इत्यादि) :–

(i) इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु **समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन कर** इच्छुक बकरीपालकों/गरीब परिवारों से आवेदन आमंत्रित किया जायेगा। विज्ञापन का प्रकाशन सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना के माध्यम से कराया जायेगा।

(ii) **आवेदन पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि** समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिन होगी।

(iii) योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर किया जाएगा।

(iv) योजना का प्रचार–प्रसार कर पारदर्शी तरीके से जिला स्तर पर आवेदन प्राप्त किया जाएगा। आवेदन विहित प्रपत्र (प्रपत्र–1) में सभी वांछित अनुलग्नकों के साथ संबंधित जिला पशुपालन कार्यालय को समर्पित किया जायेगा। आवेदन पत्र जमा करने के साथ ही जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आवेदक को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें आवेदक का आवेदन पत्र प्राप्त करने की क्रम संख्या/तिथि/समय इत्यादि अंकित रहेगा।

(v) प्रत्येक आवेदक को प्राप्ति रसीद पर एक आई0 डी0 संख्या आवंटित की जाएगी। आई0 डी0 संख्या के प्रथम चार बॉक्स में संबंधित जिलें के अंग्रजी नाम के प्रथम चार अक्षर (**Capital Letter** में) अंकित किये जाएगें। तत्पश्चात् अगले चार बॉक्सों में क्रमशः आवेदन पत्र जमा करने की तिथि एवं माह अंकित किये जाएगें। इसके बाद के दो बॉक्स **में G I** (20 बकरी+1 बकरा क्षमता के फार्म के लिए) अथवा **G II** (40 बकरी+2 बकरा क्षमता के फार्म के लिए) अंकित किया जाएगा। अंत के चार बॉक्सों में आवेदन प्राप्ति का क्रमांक चार अंको में अंकित किये जाएगें।

उदाहरणार्थ 5 फरवरी, 2018 तक पटना जिला अन्तर्गत 40 बकरी+2 बकरा क्षमता के फार्म के लिए 34वें आवेदन के लिए आई0 डी0 संख्या निम्नवत् होगी:–

P	A	T	N	0	5	0	2	G	II	0	0	3	4

(vi) एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। आवेदक द्वारा एक से अधिक आवेदन समर्पित करने की स्थिति में उसकी अर्हता स्वतः समाप्त समझी जाएगी। पूर्व में बकरी फार्म की स्थापना हेतु विभागीय स्तर से अनुदान प्राप्त/चयनित लाभुकों एवं उनके परिवार के सदस्यों

(माता/पिता/पत्नी/पति/पुत्र/अविवाहित पुत्री/पुत्रवधु) को इस योजना के अन्तर्गत लाभ देय नहीं होगा। आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र समर्पित करना होगा।

(vii) लाभुकों को बकरी फार्म (Goat Farm) के आधारभूत संरचना निर्माण (क्रमशः 20 बकरी + 1 बकरा शेड के लिये 600 Sq. feet एवं खुला जगह लगभग 1200 Sq. feet अर्थात कुल 1800 Sq. feet एवं 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता के शेड हेतु 1200 Sq. feet एवं खुला जगह लगभग 2400 Sq. feet अर्थात कुल 3600 Sq. feet) एवं हरा चारा उगाने हेतु आवश्यकतानुसार भूमि की व्यवस्था स्वयं करना होगा।

(viii) आवेदन पत्र के साथ बकरी फार्म (Goat Farm) स्थापित करने हेतु आवश्यक भूमि उपलब्धता का ब्यौरा– भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र (Land Possession Certificate)/अद्यतन लगान रसीद, यदि लीज हो तो लीज एकरारनामा (रू0 1000/– के Non Judicial Stamp पर) की प्रति जमा करना होगा। उक्त एकरारनामा में यह अंकित रहना अनिवार्य होगा कि भूमि पर बकरी फार्म (Goat Farm) का निर्माण किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित बकरी फार्म (Goat Farm) का एक नजरी नक्शा भी जमा करना होगा।

(ix) स्वलागत से बकरी फार्म (Goat Farm) स्थापित करने हेतु लाभुक के स्तर से व्यय की जाने वाली राशि (20 बकरी +1 बकरा क्षमता हेतु रू0 2.00 लाख एवं 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता हेतु रू0 4.00 लाख) की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य (यथा–अद्यतन बैंक पास बुक/बैंक सावधि जमा रसीद की छाया प्रति–संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापित/राशि उपलब्धता का अन्य साक्ष्य) जमा करना अनिवार्य होगा।

(x) बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभुक के द्वारा स्वयं की जायेगी। बैंक द्वारा लाभुक के ऋण ओवदन को अस्वीकृत कर दिये जाने की स्थिति में संबंधित लाभुक का यह दायित्व होगा कि वह अविलम्ब संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को इसकी सूचना दे एवं इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि वह स्वलागत से इसे पूरा करना चाहते हैं अथवा नहीं। स्वलागत से बकरी फार्म का निर्माण कराये जाने की स्थिति में उन्हें स्वलागत के लिए आवश्यक राशि की उपलब्धता का साक्ष्य समर्पित करना होगा।

(xi) अनुदान की राशि चयनित लाभुकों को दोनों स्थिति में देय होगा। लाभुक चाहें तो बैंक से ऋण लें अथवा स्वयं व्यय का वहन करें।

(xii) लाभुक द्वारा आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detailed Project Report) सलंग्न करना होगा। आवेदन पत्र के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detailed Project Report) सलंग्न नहीं करने की स्थिति में संगत विभागीय राज्यादेश के साथ संलग्न Model Project Report ही मान्य होगा।

(xiii) चयन की योग्यता पुरा करने वाले आवेदकों के बीच लाभुक चयन करने के क्रम में बकरी पालन में प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक एवं परम्परागत बकरी पालक को प्राथमिकता दी जायेगी। किसी भी स्थिति में चयन निम्न आय वर्ग से शुरू होकर उच्च आय वर्ग की तरफ जाएगा। आवेदक को बकरीपालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, बकरीपालन से संबंधित अन्य कोई प्रमाण पत्र एवं अनुभव संबंधी साक्ष्य जमा करना होगा। आय के आधार पर प्राथमिकता प्राप्त करने हेतु अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

4– लाभुक की चयन प्रक्रिया :–

(i) लाभुकों का प्रारंभिक चयन (Screening) जिला स्तर पर किया जायेगा। जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का स्क्रीनिंग संबंधित जिला के जिला अग्रणी बैंक पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित **''स्क्रीनिंग समिति''** द्वारा किया जाएगा, जिनके सदस्य निम्न प्रकार होंगे:–

(क) जिला पशुपालन पदाधिकारी	–सदस्य–संयोजक
(ख) जिला मत्स्य पदाधिकारी	–सदस्य
(ग) उद्योग विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी	–सदस्य

(ii) आवेदकों की उपस्थिति में उक्त **''स्क्रीनिंग समिति''** द्वारा सभी प्राप्त आवेदन पत्रों (संलग्न कागजातों सहित) की जाँच की जायेगी। अयोग्य पाये गये आवेदको के द्वारा यदि त्रुटि निराकरण हेतु समय की मांग की जाती है, तो उन्हें अधिकतम एक सप्ताह के समय देते हुए निस्तारण हेतु पुनः **स्क्रीनिंग समिति** द्वारा एक बैठक की जायेगी, जिसमें उन आवेदको को वांछित कागजातों के साथ उपस्थित रहना होगा। बैठक की तिथि की सूचना वैसे सभी आवेदको को दूरभाष के माध्यम से दी जायेगी। इस प्रकार सभी योग्य आवेदको की प्रारंभिक सूची तैयार कर प्रपत्र–2 जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर पर गठित की जाने वाली **''त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति''** को स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँच इत्यादि हेतु समर्पित की जायेगी।

(iii) जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर पर गठित की जाने वाली **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी अध्यक्ष के रूप में तथा भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलन्त) अथवा सहायक कुक्कुट पदाधिकारी एवं जिला में पदस्थापित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक (जो भी वरीय हों) रहेंगे। यदि भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलन्त)/सहायक कुक्कुट पदाधिकारी/अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक में कोई भी पद रिक्त हो अथवा स्वीकृत नहीं हो, वहाँ संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा जिला अन्तर्गत पदस्थापित किन्हीं अन्य वरीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा।

(iv) त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक कागजात/साक्ष्य जाँचोपरान्त <u>प्रपत्र–3</u> में अपनी अनुशंसा के साथ संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(v) लाभुकों का अंतिम रूप से चयन क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन की अध्यक्षता में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा गठित "**चयन समिति**" द्वारा किया जायेगा।

(vi) "**चयन समिति**" द्वारा त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आधार पर सभी योग्य आवेदको की कोटिवार वरीयता सूची निर्धारित मापदण्ड के आधार पर तैयार की जायेगी। तत्पश्चात् चयन समिति द्वारा उक्त सूची से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वरीयतानुसार कोटिवार लाभुकों का अंतिम रूप चयन से चयन किया जायेगा।

(vii) **चयन समिति** द्वारा लाभुकों के अंतिम चयन के उपरांत क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन के स्तर से लाभुकों के चयन संबंधी.**स्वीकृति पत्र** विहित प्रपत्र **(प्रपत्र–4)** में निर्गत किया जायेगा एवं इसकी प्रति संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को दी जायेगी।

(viii) लाभुकों के अंतिम चयन के उपरांत संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से बैंक द्वारा ऋण प्राप्त करने वाले आवेदनों को बैंक ऋण स्वीकृति हेतु संबंधित बैंकों को अग्रसारित किया जाएगा।

(ix) स्वीकृति पत्र निर्गत होने के **10 दिनों** के अन्दर चयनित लाभुकों को विभागीय प्रतिनिधि (संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी) के साथ रूपये 1000/– का नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर (Non-Judicial Stamp Paper) पर एकरारनामा **(<u>प्रपत्र–7 में</u>)** करना अनिवार्य होगा।

(x) आगे अगर किन्ही कोटियों में रिक्तियाँ प्राप्त होती हैं तो आवश्यकतानुसार चयन समिति द्वारा पूर्व निर्धारित कोटिवार वरीयता सूची से नये लाभुकों का चयन किया जा सकेगा।

5– <u>बकरी फार्म (Goat Farm) **का निर्माण एवं अनुदान की राशि का भुगतान :–**</u>

(i) लाभुक के द्वारा एकरारनामा संपादित किये जाने के उपरान्त उनके द्वारा समर्पित परियोजना प्रस्ताव के अनुरूप **60 दिनों के अन्दर** बकरी फार्म (Goat Farm) का निर्माण (आधारभूत संरचना/ बकरा/बकरी का क्रय इत्यादि) कर लिया जायेगा।

(ii) बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किये जाने के उपरान्त बकरी/बकरा का क्रय "क्रय समिति" के समक्ष राज्य के अन्दर पशु हाटों एवं मेलों में किया जाएगा। क्रय के उपरान्त खरीदे गये बकरी/बकरा के साथ लाभुक एवं क्रय समिति के सदस्यों का संयुक्त फोटोग्राफी होना अनिवार्य होगा।

(iii) क्रय समिति में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी अध्यक्ष के रूप में तथा सदस्य के रूप में भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलन्त) अथवा सहायक कुक्कुट पदाधिकारी एवं जिला में पदस्थापित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक (जो भी वरीय हों) के साथ संबंधित बैंक प्रबंधक या उनके प्रतिनिधि होंगे।

(iv) बकरी फार्म (Goat Farm) का निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त इसकी सूचना लाभुक द्वारा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को दी जायेगी। बकरी फार्म (Goat Farm) की स्थापना हेतु चयनित सभी लाभुकों से प्राप्त तत्संबंधी प्रतिवेदन को जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा संकलित कर समेकित प्रतिवेदन संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(v) एकरारनामा संपादित करने की तिथि से **60 दिनों के अंदर** बकरी फार्म (Goat Farm) का निर्माण नहीं करने की स्थिति में संबंधित लाभुक का स्वीकृति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा इसके लिए लाभुक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(vi) बकरी फार्म (Goat Farm) का निर्माण (आधारभूत संरचना/ बकरा/बकरी का क्रय इत्यादि) संपन्न होने के पश्चात् लाभुक के द्वारा अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन विहित प्रपत्र **(प्रपत्र–5)** में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा, जिसकी प्राप्ति आवेदक को दी जायेगी। आवेदन पत्र के साथ बकरी फार्म (Goat Farm) के साथ लाभुक का फोटोग्राफ साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(vii) जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्ति के **20 दिनों के अंदर** स्थल निरीक्षण किया जायेगा। स्थल निरीक्षण के समय लाभुक का स्थल (बकरी फार्म) पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा। स्थल निरीक्षण के क्रम में **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा पूरे बकरी फार्म की विधिवत् रूप से फोटोग्राफी करायी जायेगी।

(viii) **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा बकरी फार्म का स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोंपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात् लाभुक को अनुदान राशि का भुगतान करने हेतु अपनी अनुशंसा के साथ एवं स्थल निरीक्षण–सह–जाँच प्रतिवेदन **(प्रपत्र–6)** (बकरी फार्म के फोटोग्राफ सहित) संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ix) सभी स्थल निरीक्षण–सह–जाँच प्रतिवेदन (प्रपत्र–6) की क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन के स्तर पर समीक्षा की जाएगी। समीक्षोपरान्त क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन द्वारा संबंधित जिला के लाभुकों के अनुमोदित सूची के आधार पर जिलावार स्वीकृत अनुदान की राशि निदेशक, पशुपालन द्वारा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को एकमुश्त उपलब्ध कराया जाएगा।

(x) लाभुक को अनुमान्य अनुदान (क्रमशः अधिकतम रूपये 1.00 लाख/2.00 लाख) की राशि का भुगतान जिला पशुपालन पदधिकारी द्वारा बैंक ऋण की स्थिति में लाभुक के ऋण खाता एवं स्वलागत की स्थिति में लाभुक के बैंक खाता में एकमुश्त किया जायेगा।

(xi) अनुदान का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा किया जायेगा जिसकी प्राप्ति का साक्ष्य संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को उपलब्ध कराया जाएगा जिसे विधिवत् रूप से क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन कार्यालय में संधारित किया जायेगा।

(xii) संगत राज्यादेश की कंडिका–12 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना के लिये स्वीकृत राशि निदेशक, पशुपालन, बिहार द्वारा बी0टी0सी0 फार्म–42 पर आवश्यकतानुसार राशि की निकासी कर बिहार लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट एजेन्सी (बी0एल0डी0ए0), पटना के खाता में रखी जायेगी। लाभुक को अनुदान का भुगतान हेतु राशि उक्त खाता के माध्यम से निदेशक, पशुपालन द्वारा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

6– लक्ष्य :–

वर्ष 2017–18 में समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना'' के तहत निजी क्षेत्रों में बकरी फार्म (Goat Farm) की स्थापना पर 50 प्रतिशत् अनुदान हेतु जिला–वार लक्ष्य की विवरणी निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	जिला का नाम	सामन्य घटक				अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक			
		20 + 1 क्षमता		40 + 2 क्षमता		20 + 1 क्षमता		40 + 2 क्षमता	
		भौतिक लक्ष्य	अनुदान की राशि (रूपये लाख में)	भौतिक लक्ष्य	अनुदान की राशि (रूपये लाख में)	भौतिक लक्ष्य	अनुदान की राशि (रूपये लाख में)	भौतिक लक्ष्य	अनुदान की राशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पटना	12	12.00	6	12.00	3	3.00	1	2.00
2	नालन्दा	12	12.00	6	12.00	2	2.00	1	2.00
3	भोजपुर	10	10.00	5	10.00	2	2.00	1	2.00
4	रोहतास	8	8.00	4	8.00	2	2.00	1	2.00
5	बक्सर	5	5.00	2	4.00	1	1.00	0	0.00
6	कैमूर	5	5.00	2	4.00	1	1.00	0	0.00
7	गया	12	12.00	6	12.00	3	3.00	1	2.00
8	जहानाबाद	4	4.00	2	4.00	1	1.00	0	0.00
9	नवादा	6	6.00	3	6.00	2	2.00	1	2.00
10	औरंगाबाद	8	8.00	4	8.00	2	2.00	1	2.00
11	अरवल	4	4.00	2	4.00	1	1.00	0	0.00
12	भागलपुर	10	10.00	5	10.00	1	1.00	0	0.00
13	बांका	6	6.00	3	6.00	1	1.00	0	0.00
14	मुंगेर	4	4.00	2	4.00	1	1.00	0	0.00
15	लखीसराय	4	4.00	2	4.00	1	1.00	0	0.00
16	जमुई	5	5.00	2	4.00	1	1.00	0	0.00
17	शेखपुरा	4	4.00	2	4.00	2	2.00	0	0.00

18	खगड़िया	12	12.00	6	12.00	2	2.00	1	2.00
19	मुजफ्फरपुर	12	12.00	6	12.00	2	2.00	1	2.00
20	वैशाली	12	12.00	6	12.00	2	2.00	1	2.00
21	मोतिहारी	12	12.00	6	12.00	2	2.00	1	2.00
22	सीतामढ़ी	8	8.00	4	8.00	2	2.00	0	0.00
23	शिवहर	4	4.00	2	4.00	1	1.00	0	0.00
24	बेतिया	11	11.00	5	10.00	2	2.00	1	2.00
25	दरभंगा	10	10.00	5	10.00	2	2.00	1	2.00
26	मधुबनी	11	11.00	5	10.00	2	2.00	0	0.00
27	समस्तीपुर	10	10.00	5	10.00	2	2.00	1	2.00
28	बेगुसराय	9	9.00	4	8.00	2	2.00	0	0.00
29	पूर्णियाँ	10	10.00	5	10.00	2	2.00	0	0.00
30	कटिहार	9	9.00	4	8.00	1	1.00	0	0.00
31	अररिया	8	8.00	4	8.00	1	1.00	0	0.00
32	किशनगंज	5	5.00	2	4.00	1	1.00	0	0.00
33	सहरसा	6	6.00	3	6.00	1	1.00	0	0.00
34	मधेपुरा	6	6.00	3	6.00	1	1.00	0	0.00
35	सुपौल	7	7.00	3	6.00	1	1.00	0	0.00
36	छपरा	10	10.00	5	10.00	2	2.00	0	0.00
37	सीवान	10	10.00	5	10.00	2	2.00	0	0.00
38	गोपालगंज	8	8.00	4	8.00	1	1.00	0	0.00
कुल योग		**309**	**309**	**150**	**300**	**60**	**60**	**14**	**28**

7– योजना का अनुश्रवण/अन्यान्यः–

(i) जिला स्तर पर योजना का अनुश्रवण संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से किया जायेगा।

(ii) पशुपालन निदेशालय द्वारा जिला–वार लाभुकों की सूची विभागीय वेबसाईट पर अपलोड (Upload) की जायेगी तथा संबंधित जिला पशुपालन कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(iii) जिला अन्तर्गत स्थापित बकरी फार्म के बकरा–बकरी की स्वास्थ्य जाँच तथा तकनीकी परामर्श संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी/भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में एक बार नियमित रूप से किया जाएगा।

(iv) योजना अन्तर्गत चयनित लाभुकों द्वारा प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को बकरी फार्म (Goat Farm) **का मासिक प्रगति प्रतिवेदन** समर्पित करना अनिवार्य होगा। संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा जिले में स्थापित सभी बकरी फार्म से प्राप्त मासिक प्रगति प्रतिवेदन का संकलन कर पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(v) योजना की प्रगति की मासिक समीक्षा विभागीय स्तर पर की जायेगी।

(vi) किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का निपटारा करने के लिये प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

ह0/–

(राधेश्याम साह)

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक– 10 नि0 (यो0) 05/2017 ....38 (नि0)........./पटना–15, दिनांक– ....03/01......../2018

प्रतिलिपि :– सभी जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, मौर्यालोक, बी0 ब्लॉक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0 टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के तहत निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा एवं 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (क्रमशः अधिकतम रूपये 1.00 लाख/2.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु

आवेदन पत्र

(आवेदक द्वारा संबंधित जिला पशुपालन कार्यालय में सभी वांछित अनुलग्नकों के साथ समर्पित किया जायेगा।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का स्व–अभिप्रमाणित फोटोग्राफ।

1. आवेदक का नाम :– ....
2. पिता का नाम :– ....
3. जन्म तिथि :– ....
4. उम्र :–..(पूर्ण वर्षों में)
5. शैक्षणिक योग्यता :– ....
6. पेशा :– ....
7. कोटि (सामान्य/अनुसूचित जाति) :– ....

(अनुसूचित जाति के लिये प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)

8. स्थायी पता :–

ग्राम – .... पो0– ....

थाना – .... प्रखंड –..

पिन कोड – .... जिला –..

8. दूरभाष/मोबाईल नं0–: ....
9. बकरीपालन में प्राप्त प्रशिक्षण/बकरी पालन से संबंधित कोई अन्य प्रमाण–पत्र/अनुभव की विवरणी :– ....

....

....

10. वर्त्तमान में बकरीपालन कर रहे है? (हाँ/नहीं) ....
11. यदि हाँ तो बकरीपालन करने का विवरण :– ....

....

(साक्ष्य–फोटोग्राफ सहित संलग्न करना अनिवार्य है)

12. आवेदक के वार्षिक आय का ब्योरा:–..

....

(आय के आधार पर प्राथमिकता प्राप्त करने हेतु अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)

13. भूमि का ब्यौरा (जिसका उपयोग बकरी फार्म की स्थापना के लिए किया जाना है)

(क) खाता :– .... (ख) खेसरा :– ....

(ग) रकबा (एकड़ में) :– .... (घ) जिला मुख्यालय से दूरी :– ....

(ड०) मौजा :– .... (च) ग्राम :– ....

(छ) परगना :– .... (ज) थाना :– ....

(झ) थाना नं0 :– .... (ञ) प्रखंड/अंचल :– ....

(ट) जिला :– ....

(ठ) भूमि आवेदक के नाम से है या लीज (पट्टा) पर ली गई है :– ....

(भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र/ लीज एकरारनामा की छाया प्रति संलग्न करें)

14. बकरी फार्म हेतु प्रस्तावित प्रोजेक्ट का विवरण

(क) प्रस्तावित प्रोजेक्ट की राशि :– ....

(प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करे/ सलंग्न नहीं करने की स्थिति में विभाग द्वारा तैयार किया गया "मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट " ही मान्य होगा)

(ख) अनुदान की राशि :– ....

(ग) अनुदान के अतिरिक्त राशि की व्यवस्था (स्वलागत अथवा बैंक ऋण से) ....

(घ) यदि स्वलागत से हो तो राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य :– ....

....

(ड०) यदि बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहते हैं/ऋण स्वीकृत हो चुका है तो बैंक का नाम, पता एवं ऋण स्वीकृति का साक्ष्य:– ....

....

(च) विशेष यदि कोई हो (निबंधन संख्या इत्यादि) :– ....

15. अनुदान प्राप्ति हेतु बैंक खाता एवं अन्य का विवरण :–

(क) बैंक का नाम :– ....

(ख) शाखा :– ....

(ग) खाता संख्या :– ....

(घ) आई0एफ0एस0सी0 कोड :– ....

(ड०) पैन कार्ड संख्या :– ....

16. अनुलग्नक :–

(क) आवेदक का फोटोग्राफ

(ख) पहचान पत्र की छाया प्रति

(ग) आवास का प्रमाण पत्र

(घ) जाति प्रमाण पत्र *(अनुसूचित जाति के लिये प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)*

(ड0) आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो) की छाया प्रति

(च) बैंक खाता पास बुक की छाया प्रति

(छ) पैन कार्ड की छाया प्रति

(ज) भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र/ लीज एकरारनामा की छाया प्रति/अद्यतन लगान रसीद

(झ) भूमि के नजरी नक्शा की प्रति

(ञ) बकरी फार्म स्थापित करने हेतु कुल भूमि की उपलब्धता का साक्ष्य

(ट) स्वलागत से बकरी फार्म स्थापना के लिये राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य

(ठ) बकरीपालन का अनुभव/प्रशिक्षण संबंधी साक्ष्य

(ड) प्रोजेक्ट रिपोर्ट

(ड) आय प्रमाण–पत्र की छायाप्रति

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सभी सूचनाएँ सही हैं। मेरे द्वारा पूर्व में विभाग की तरफ से बकरी फार्म की स्थापना हेतु कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है। पशुपालन निदेशालय, बिहार द्वारा राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के तहत निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा एवं 40 बकरी+2 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (क्रमशः अधिकतम रूपये 1.00 लाख/2.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान की योजना के लिए निर्धारित सभी शर्तों का मेरे द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा।

तिथि ....

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान ....

नाम – ....

....

जिला पशुपालन कार्यालय,.............................

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के तहत निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा एवं 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (क्रमशः अधिकतम रूपये 1.00 लाख/2.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु

आवेदन का जाँच पत्र

(जिला पशुपालन कार्यालय स्तर पर गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा तैयार किया जायेगा)

आवेदक श्री/श्रीमती/सुश्री/..

आई.डी. संख्या–														

पिता/पति का नाम :– ....

ग्राम : .... पोस्ट : ....

थाना : .... प्रखंड : ....

जिला : .... पिन कोड : ....द्वारा *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के तहत निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा एवं 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (क्रमशः अधिकतम रूपये 1.00 लाख/2.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र पूर्ण रूप से सही है/ आवेदन पत्र में निम्नांकित त्रुटियाँ पायी गयी हैं (जो लागू न हों उसे काट दें) :–

1– ....

....

2– ....

....

3– ....

....

आवेदक द्वारा उक्त त्रुटियों के निराकरण हेतु आपत्ति समर्पित करने हेतु अंतिम तिथि/समय दिनांक–.. के 5.00 बजे अप0 तक निर्धारित की जाती है। आवेदक द्वारा समर्पित की गई आपत्तियों की सुनवाई दिनांक–................................ को .... बजे पूर्वा0/अप0 में की जायेगी जिसमें आवेदक को स्वयं उपस्थित रहना होगा। *(आवेदन पत्र में त्रुटि पाये जाने की स्थिति में भरा जायेगा)*

उद्योग विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी।	जिला मत्स्य पदाधिकारी।	जिला पशुपालन पदाधिकारी।	जिला अग्रणी बैंक पदाधिकारी।

कार्यालय :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, ...

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के तहत निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा एवं 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (क्रमशः अधिकतम रूपये 1.00 लाख/2.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति का

जाँच प्रतिवेदन

(स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोपरान्त संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को समर्पित किया जाएगा)

ज्ञापांक :– .... दिनांक :– ....

आवेदक श्री/श्रीमती/सुश्री/..

आई.डी. संख्या– | | | | | | | | | | | | | | |

पिता/पति का नाम :– ....

ग्राम : .... पोस्ट : ....

थाना : .... प्रखंड : ....

जिला : .... पिन कोड : ....द्वारा *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के तहत निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा एवं 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (क्रमशः अधिकतम रूपये 1.00 लाख/2.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु समर्पित किये गये आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनाओं/तथ्यों की जाँच की गई एवं आवेदक के द्वारा प्रस्ताावित बकरी फार्म स्थल पर जाकर स्थलीय जाँच की गई।

1– आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचना/तथ्य जाँचोपरान्त सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। *जो लागू न हो उसे काट दें)*

2– आवेदक द्वारा प्रस्तावित बकरी फार्म स्थल पर बकरी फार्म का निर्माण किया जा सकता है/नहीं किया जा सकता है। *(जो लागू न हो उसे काट दें)*

3– कोई अन्य सूचना (यदि हो तो) – ....

....

4–आवेदक को "निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा क्षमता एचं 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता) की स्थापना" हेतु चयनित करने की अनुशंसा की जाती है।

भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलन्त)/सहायक कुक्कुट पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर। (सदस्य)	जिला में पदस्थापित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक (जो भी वरीय हों) (सदस्य)	जिला पशुपालन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर। (अध्यक्ष)

ज्ञापांक :– .... दिनांक :– ....

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन................................ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पशुपालन पदाधिकारी......................

a

प्रपत्र–4

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन.............................

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के तहत निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा एवं 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (क्रमशः अधिकतम रूपये 1.00 लाख/2.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु

लाभुक के चयन के उपरान्त निर्गत स्वीकृति पत्र

ज्ञापांक :– .... दिनांक :– ....

सेवा में,

आई.डी. संख्या–														

श्री/श्रीमती/सुश्री/ ....

पिता/पति का नाम :– ....

ग्राम : .... पोस्ट : ....

थाना : ....प्रखंड : ....

जिला : ....पिन कोड : ....

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के तहत बकरीपालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा एवं 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (क्रमशः अधिकतम रूपये 1.00 लाख/2.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुक के चयन के उपरान्त निर्गत स्वीकृति पत्र के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के तहत निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा/40 बकरी + 2 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (क्रमशः अधिकतम रूपये 1.00 लाख/2.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु आपके द्वारा समर्पित आवेदन (**आवेदन का प्रकार – बैंक ऋण/स्वलागत**) को जिला पशुपालन पदाधिकारी, ... की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति की अनुशंसा (ज्ञापांक...............................दिनांक–..) एवं क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन,.............................. स्तर पर गठित चयन समिति की अनुशंसा (ज्ञापांक–................................ दिनांक–..............................) के आलोक में आपको योजनान्तर्गत लाभ प्रदान करने हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन चयनित किया जाता है :–

1– आवेदन पत्र के साथ समर्पित परियोजना प्रस्ताव के आलोक में आपके द्वारा 20 बकरी+1 बकरा/40 बकरी+2 बकरा क्षमता के बकरी फार्म (Goat Farm) की स्थापना की जायेगी, जिसके आधार पर आपको अधिकतम रूपये 1.00 लाख (एक लाख मात्र)/2.00 लाख (दो लाख मात्र) का अनुदान दिया जायेगा।

2– इस स्वीकृति पत्र के निर्गत होने के **10 दिनों** के अन्दर आपको विभागीय प्रतिनिधि (संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी) के साथ एकरारनामा करना होगा।

3–एकरारनामा संपादित किये जाने के उपरान्त आपके द्वारा समर्पित परियोजना प्रस्ताव के अनुरूप **60 दिनों के अन्दर** बकरी फार्म (Goat Farm) का निर्माण (आधारभूत संरचना/बकरा/बकरी का क्रय इत्यादि) कर लिया जायेगा।

4– बकरी फार्म (Goat Farm) का निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त इसकी सूचना आपके द्वारा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को दी जायेगी।

5– एकरारनामा संपादित करने की तिथि से **60 दिनों के अंदर** बकरी फार्म (Goat Farm) का निर्माण नहीं करने की स्थिति में आपका स्वीकृति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

6– आपको अनुमान्य अनुदान (अधिकतम रूपये 1.00 लाख/2.00 लाख) की राशि का भुगतान जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा एकमुश्त किया जायेगा।

7–आपके द्वारा अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन विहित प्रपत्र **(प्रपत्र–5)** में जिला पशुपालन कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ बकरी फार्म (Goat Farm) के साथ आपका फोटोग्राफ साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8– आपके द्वारा अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन समर्पित करने के उपरान्त संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा स्थल निरीक्षण किया जायेगा। स्थल निरीक्षण के समय आपका स्थल (बकरी फार्म) पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा। स्थल निरीक्षण के क्रम में **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा पूरे बकरी फार्म की विधिवत् रूप से फोटोग्राफी करायी जायेगी।

9– **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा बकरी फार्म का स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोंपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात् आपको अनुदान राशि का भुगतान करने हेतु अपनी अनुशंसा के साथ एवं स्थल निरीक्षण–सह–जाँच प्रतिवेदन **(प्रपत्र–6)** (बकरी फार्म के फोटोग्राफ सहित) संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को उपलब्ध कराया जायेगा।

10– क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन द्वारा अनुमोदित लाभुकों की सूची स्थल निरीक्षण–सह–जाँच प्रतिवेदन **(प्रपत्र–6)** पशुपालन निदेशालय में प्राप्त होने के उपरान्त अनुदान का भुगतान संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को एकमुश्त किया जायेगा।

12– किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का निपटारा करने के लिये प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक–.../पटना–15, दिनांक–................................../2016

प्रतिलिपि :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन।

प्रपत्र–5

कार्यालय :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, ...

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के तहत निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा एवं 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (क्रमशः अधिकतम रूपये 1.00 लाख/2.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु

अनुदान की राशि प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र

आई.डी. संख्या– | | | | | | | | | | | | | | |

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन के स्वीकृति पत्र संख्या ....दिनांक .... के आलोक में आवेदक श्री/श्रीमति/सुश्री ....पिता/पति का नाम :– ....ग्राम : .... पोस्ट : ....थाना : .... प्रखंडः ... .जिला : ....पिन कोड : .... द्वारा अनुदान की राशि के लिए दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। *(जो लागू न हो उसे काट दें।)*

क्र0 सं0	मद	अनुदान राशि जिसके लिए दावा प्रस्तुत किया गया है। (अंक एवं शब्दों में)
1.	कुल परियोजना लागत	
2.	कुल स्वीकृत अनुदान की राशि	

1– मेरे द्वारा आवेदन पत्र के साथ समर्पित परियोजना प्रस्ताव के अनुरूप बकरी फार्म Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा एवं 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता) की स्थापना कर ली गई है तथा बकरा/बकरी का क्रय कर लिया गया है। प्रमाण स्वरूप बकरी फार्म (बकरी/बकरा एवं लाभुक के साथ) का फोटोग्राफ संलग्न किया जा रहा है।

2– मुझे अनुदान के रूप में रूपये ....लाख (अंक में) रूपये .... (शब्दों में) लाख का भुगतान करने की कृपा की जाये।

आवेदक का हस्ताक्षर

तिथि ....

(अनुदान दावा आवेदन पत्र में लाभुक अपना नाम एवं हस्ताक्षर तथा तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे)

प्रपत्र–6

कार्यालय :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, ...

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के तहत निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा एवं 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (क्रमशः अधिकतम रूपये 1.00 लाख/2.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु

अनुदान की राशि प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र का जाँच पत्र

आई.डी. संख्या– | | | | | | | | | | | | | | |

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन के स्वीकृति पत्र संख्या ....
दिनांक .... के आलोक में आवेदक श्री/श्रीमति/सुश्री ....
....पिता/पति का नाम :– ....
ग्राम : .... पोस्ट : ....थाना : ....
प्रखंडः ....जिला : ....पिन कोड : ....
द्वारा अनुदान राशि के भुगतान के लिए समर्पित आवेदन/दावा के आलोक में लाभुक के द्वारा स्थापित बकरी फार्म स्थल पर जाकर जाँच की गई। जाँचोपरान्त पाया गया कि लाभुक द्वारा बकरी फार्म निर्माण कर लिया गया है तथा 20 बकरी+1 बकरा/40 बकरी+2 बकरा का क्रय कर लिया गया है। लाभुक द्वारा बकरी फार्म का संचालन किया जा रहा है।

(फोटोग्राफ संलग्न)

लाभुक श्री .... को अनुदान की राशि रूपये .... लाख का भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है।

भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलन्त)/सहायक कुक्कुट पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर। (सदस्य)	जिला में पदस्थापित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक (जो भी वरीय हों) (सदस्य)	जिला पशुपालन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर। (अध्यक्ष)

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के तहत निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा एवं 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (क्रमशः अधिकतम रूपये 1.00 लाख/2.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु

एकरारनामा

(1000/– रूपये (एक हजार) के ननज्यूडिसीयल स्टाम्प पेपर पर)

1. यह एकरारनामा पशु एवं मत्स्य संसाधन (पशुपालन) विभाग, विकास भवन, बिहार, पटना की ओर से जिला पशुपालन पदाधिकारी .... एवं श्री/श्रीमती .... (बकरी फार्म के संस्थापक का नाम एवं पूरा पता) के बीच आज दिनांक– .... को .... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में संपादित (Execute) किया गया।
2. वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभागीय स्वीकृति आदेश पत्र संख्या–6 एस०एस० (6) 42/2014–3004 दिनांक–12.09.2016 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक–3726 दिनांक–22.11.2017, ज्ञापांक–4095, दिनांक–21.12.2017 के क्रम में "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी + 1 बकरा/40 बकरी + 2 बंकरा) क्षमता की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन के पत्रांक–............ दिनांक–.............. द्वारा निर्गत स्वीकृति पत्र के आलोक में श्री .... (बकरी फार्म के संस्थापक का नाम एवं पूरा पता) को .... (जिस स्थान पर बकरी फार्म (Goat Farm) स्थापित किया जाना है, उसका पूरा पता) में Goat Farm की स्थापना करने हेतु चयनित किया गया है।
3. यह कि विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों (नियम एवं शर्त्तो) के अनुरूप Goat Farm के संस्थापक द्वारा Goat Farm का स्थापना एवं संचालन किया जाएगा।
4. संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं लाभुक के बीच एकरारनामा संपादित किए जाने के उपरान्त उनके द्वारा समर्पित परियोजना प्रस्ताव के अनुरूप 60 दिनों के अंदर बकरी फार्म (Goat Farm) का निर्माण (आधारभूत संरचना/बकरा/बकरी का क्रय इत्यादि) कर लिया जाएगा।
5. बकरी फार्म (Goat Farm) का निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त इसकी सूचना लाभुक द्वारा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को दी जाएगी। एकरारनामा संपादित करने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर बकरी फार्म (Goat Farm) का निर्माण नहीं करने की स्थिति में संबंधित लाभुक का स्वीकृति पत्र निरस्त करने का अधिकार क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक, पशुपालन को होगा एवं इसके लिए लाभुक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

6. लाभुक के द्वारा अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन विहित प्रपत्र (प्रपत्र–5) में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। जिसकी प्राप्ति आवेदक को दी जाएगी। आवेदन पत्र के साथ बकरी फार्म (Goat Farm) के साथ लाभुक का फोटोग्राफ साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति द्वारा आवेदन प्राप्ति के 20 दिनों के अन्दर स्थल निरीक्षण किया जाएगा। स्थल निरीक्षण के समय लाभुक का स्थल (बकरी फार्म) पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण के क्रम में त्रिसदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति द्वारा पूरे बकरी फार्म के विधिवत् रूप से फोटोग्राफी कर ली जाएगी।

8. त्रिसदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति द्वारा बकरी फार्म का स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात स्थल निरीक्षण–सह–जाँच प्रतिवेदन (प्रपत्र–6) (बकरी फार्म के फोटोग्राफ साहित) के साथ लाभुक को अनुदान राशि का भुगतान करने हेतु अपनी अनुशंसा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति प्रतिवेदन (प्रपत्र–6) क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन में प्राप्त होने के उपरान्त अनुदान का भुगतान लाभुक के नाम से एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा किया जायेगा।

10. लाभुक को अनुमान्य राशि (अधिकतम रूपये 1.00 लाख/2.00 लाख) की राशि का भुगतान जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा लाभुक के बैंक खाते में एकमुश्त किया जाएगा।

11. किसी प्रकार विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का निपटारा करने के लिए प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

12. किसी प्रकार का वैद्यानिक मामला जिला–पटना, बिहार के क्षेत्रान्तर्गत होगा।

विभाग के प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर,
पदनाम
नाम डा० ....

जिला पशुपालन पदाधिकारी
....

दो गवाहों का हस्ताक्षर
(पूरा नाम एवं पदनाम सहित)
1 ....
2 ....

लाभुक/बकरी फार्म के नाम एवं
संस्थापक का हस्ताक्षर,
एवं पूरा पता
श्री ....
....
....

दो गवाहों का हस्ताक्षर
(पूरा नाम एवं पदनाम सहित)
1 ....
2 ....

अनुलग्नक–3

Project Report for Establishment of Goat Farm (20 Goat+ 1 Buck)

A. **Non – Recurring Expenditure:-**

(I) Floor space for shed Construction

1- 20 Goat x 12 Sq. ft.	-	240 Sq. ft.
2- 1 Buck x 15 Sq. ft.	-	15 Sq. ft.
3- 40 Kid x 8 Sq. ft. (Upto age of 10-12 Months)	-	320 Sq. ft.
Total	=	**575 Sq. ft.**

Cost of construction of shed (Bricks work with Asbestos roof)
@ Rs. 200/ Sq. ft. (200 x 575 Sq. ft. Floor space) = 1,15,000=00

(II) Cost of breedable Goat/ Buck

1- Cost of breedable goat (Body wt. 16 Kg. approx.) 20 nos.
@ Rs. 4000/- Goat x 20 - 80,000=00

2- Cost of 1breedable Buck
@ Rs. 5000/- Buck x 1 - 5,000=00

Total = 2,00,000=00

B. **Recurring Expenditure:-**

1- Feeding of 21 nos. of Goat & Buck for 12 Months
@ 300 gm/day/goat or buck @ Rs. 15/ Kg. of conc.
Feed. 21 X 0.3kg. X 365 = 2299.5 Kg. or 2300 Kg x 15 - 34,500=00

2- Cost of Insurance of Parent Stock @ 5% for one year - 4,250=00

3- Cost of Medicine @ Rs. 150/ Animal - 3,150=00

4- Cost of feeding equipments and ropes etc. - 5,250=00
(@ Rs 250/ Animal x 21)

Total = 47,150=00

Non-Recurring Expenditure	Rs. 2,00,000/-	50 % subsidy (Rs 1.00 lakh)
Recurring Expenditure	Rs. 47,150/-	To be borne by the beneficiary

Note :- *The above price estimation may vary depending on the cost of live animals, feed or construction materials.*

3004
12/9/17

अनुलग्नक–4

Project Report for Establishment of Goat Farm (40 Goat+ 2 Buck)

A. **Non – Recurring Expenditure :-**

(I) Floor space for shed Construction

1- 40 Goat x 12 Sq. ft.	-	480 Sq. ft.
2- 2 Buck x 15 Sq. ft.	-	30 Sq. ft.
3- 80 Kid x 8 Sq. ft. (Upto age of 10-12 Months)	-	640 Sq. ft.
	Total =	1150 Sq. ft.

Cost of construction of shed (Bricks work with Asbestos roof)
@ Rs. 200/ Sq. ft. (200 x 1175 Sq. ft. Floor space) = 2,30,000=00

(II) Cost of breedable Goat/ Buck

1- Cost of breedable goat (Body wt. 20 Kg.) 40 nos.
@ Rs. 4000/- Goat x 40 - 1,60,000=00

2- Cost of 2 breedable Buck
@ Rs. 5000/- Buck x 2 - 10,000=00

Total = 4,00,000=00

B. **Recurring Expenditure:-**

1- Feeding of 42 nos. of Goat & Buck for 12 Months @ 300 gm/day/goat or buck @ Rs. 15/ Kg. of conc. Feed. 42 X 0.3kg. X 365 = 4599 Kg. or 4600 Kg x 15	-	69,000=00
2- Cost of Insurance of Parent Stock @ 5% for one year	-	8,500=00
3- Cost of Medicine @ Rs. 150/ Animal	-	6,300=00
4- Cost of feeding equipments and ropes etc. (@ Rs 250/ Animal x 42)	-	10,500=00
	Total =	94,300=00

Non-Recurring Expenditure	Rs. 4,00,000/-	50 % subsidy (Rs 2.00 lakh)
Recurring Expenditure	Rs. 94,300/-	To be borne by the beneficiary

Note :- The above price estimation may vary depending on the cost of live animals, feed or construction materials.

3004
12/9/17